न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 48–पीबीआर/15 विरूद्ध आदेश दिनांक 29–12–2014 पारित द्वारा तहसीलदार वृत्त घाटीगॉव जिला ग्वालियर प्रकरण कमांक 01/2006–07/अ–76

.....

1–प्रेमचन्द सचदेवा पुत्र स्व0श्री रामधन सचदेवा
निवासी सत्यनारायण संतर मुरार, ग्वालियर
2–राजन सचदेवा पुत्र श्री आनंदकिशोर सचदेवा
निवासी कालीमाई संतर मुरार, ग्वालियर

.....**आवेदकगण**

विरूद्ध

1–पंजाब नेशनल बैंक
द्वारा शाखा प्रबंधक ब्रांच मुरार ग्वालियर म0प्र0
2–श्रीराम साईकल स्टोर
द्वारा मुकेश अग्रवाल पुत्र रंगीलाल अग्रवाल
3–श्रीमती ममता अग्रवाल पत्नी श्री मुकेश अग्रवाल
निवासीगण सिंधी कॉलोनी गरम सडक मुरार ग्वालियर
4–सुभाष चन्द्र अग्रवाल पुत्र स्व.श्री राधाचरण अग्रवाल
निवासी कालीमाई संतर मुरार ग्वालियर

.....**अनावेदकगण**

– – – – –

श्री के0एल0गुप्ता, अभिभाषक, आवेदक
श्री जी0के0अग्रवाल, अभिभाषक, अनावेदक क्र.1
श्री बल्देव कुमार, अभिभाषक, अनावेदक क्र.4

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 23/9/15 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में बाद में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार वृत्त घाटीगॉव जिला ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 29–12–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि पूर्व में तहसीलदार द्वारा दिनांक 28–07–2007 को आदेश पारित कर प्रश्नाधीन संपत्ति में विक्रय प्रमाण पत्र जारी किया गया । तहसीलदार के उक्त आदेश के विरूद्ध प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय तक प्रचलित रहा और माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका क्रमांक 2520/2010 में दिनांक 10–01–2011 को आदेश पारित कर जारी विक्रय प्रमाण पत्र दिनांक 28–7–2007 निरस्त किया जाकर प्रकरण पुनः नीलामी की कार्यवाही हेतु तहसीलदार को प्रत्यावर्तित किया गया । माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के पालन में तहसीलदार घाटीगॉव द्वारा पुनः प्रकरण क्रमांक 01/2006–07/अ–76 में कार्यवाही प्रारंभ की गई । कार्यवाही के दौरान आवेदकगण की ओर से व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर मुख्यतः इस आशय की आपत्ति प्रस्तुत की गई कि पूर्व में तहसीलदार मुरार को कार्यवाही करने हेतु कलेक्टर ने अधिकृत किया था और माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण कार्यवाही हेतु तहसीलदार मुरार को प्रत्यावर्तित किया गया है, अतः तहसीलदार टप्पा घाटीगॉव को प्रकरण में सुनवाई एवं कार्यवाही किये जाने के अधिकार प्राप्त नहीं है । तहसीलदार घाटीगॉव द्वारा दिनांक 29–12–2014 को आदेश पारित कर आवेदकगण की आपत्ति निरस्त की गई। तहसीलदार घाटीगॉव के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ इस प्रकरण में मुख्यतः विचारणीय बिन्दु केवल यही है कि क्या माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के पालन में तहसीलदार घाटीगॉव जिला ग्वालियर को प्रकरण में सुनवाई एवं कार्यवाही करने का अधिकार प्राप्त है अथवा नहीं । इस संबंध में आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित एवं मौखिक तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) प्रश्नाधीन संपत्ति मुरार में स्थित है व संबंधित पंजाब नेशनल बैंक भी मुरार में स्थित है और पूर्व में तहसीलदार मुरार द्वारा ही कार्यवाही प्रारंभ की गई है, अतः प्रकरण में तहसीलदार घाटीगॉव द्वारा सुनवाई करने में क्षेत्राधिकार रहित कार्यवाही की गई है ।

(2) पूर्व में इस न्यायालय द्वारा आदेश पारित कर प्रकरण तहसीलदार मुरार को प्रत्यावर्तित किया गया है, जो कि माननीय उच्च न्यायालय से स्थिर रहा है । अतः जिस राजस्व अधिकारी को प्रकरण प्रत्यावर्तित किया जाये, उन्हें ही प्रकरण में सुनवाईकर आदेश पारित करना चाहिये, परन्तु अनावेदक कमांक 4 द्वारा येन–केन–प्रकारेण प्रकरण तहसीलदार घाटीगॉव को भिजवा दिया है, जबकि तहसीलदार घाटीगॉव उक्त प्रकरण में सुनवाई नहीं कर सकते हैं ।

(3) कलेक्टर जिला ग्वालियर द्वारा किये गये कार्य विभाजन के अनुसार संबंधित बैंक जिस क्षेत्र में स्थित है, वहीं के तहसीलदार को सुनवाई का क्षेत्राधिकार दिया गया है, इसके बावजूद तहसीलदार घाटीगॉव द्वारा प्रकरण में सुनवाई करने में अवैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित एवं मौखिक तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) इस निगरानी में आवेदकगण की ओर से उठाये गये आधारों को माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन रिट याचिका कमांक 4952/14 में भी उठाया गया है जिस पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन नहीं देते हुये तहसीलदार को कार्यवाही जारी रखने के आदेश दिये गये हैं ।

(2) प्रश्नाधीन संपत्ति अनावेदक कमांक 2 व 3 की है, जिसकी नीलामी की जा रही है, इसलिये आवेदकगण को तहसीलदार द्वारा की जा रही कार्यवाही में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है ।

(3) तहसीलदार द्वारा एडव्होकेट जनरल से माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन रिट याचिका कमांक 4952/14 के संबंध में अभिमत लिया गया है और एडव्होकेट जनरल ने प्रकरण में कार्यवाही जारी रखने संबंधी अभिमत दिया है । तर्क के समर्थन में 2014(140) एआईसी 560 (गुजरात हाईकोर्ट) एवं 2010 लीगल ईगल (एससी) 458 के न्यायदृष्टांत प्रस्तुत किये गये है।

5/ प्रतिउत्तर में आवेदकगण की ओर से यह आधार उठाया गया कि माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित रिट याचिका कमांक 4952/14 कब्जे की कार्यवाही

के संबंध में है और इस बिन्दु का ही निराकरण माननीय उच्च न्यायालय द्वारा किया जाना है । प्रकरण का निराकरण गुणदोष पर करने का अधिकार राजस्व विभाग के जिले में कलेक्टर और राज्य में राजस्व मण्डल को प्राप्त है, उसमें माननीय उच्च न्यायालय की कोई दखलअंदाजी नहीं है ।

6/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का सूक्ष्म अवलोकन किया गया । इस प्रकरण में केवल यही विचारणीय बिन्दु है कि क्या तहसीलदार टप्पा घाटीगॉव द्वारा प्रकरण की सुनवाई करने में क्षेत्राधिकार रहित कार्यवाही की जा रही है अथवा नहीं । तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि पूर्व में तहसीलदार वृत्त मुरार द्वारा प्रकरण दर्ज किया जाकर दिनांक 28–07–2007 को आदेश पारित किया गया है । तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध प्रकरण क्रमशः अपर कलेक्टर, आयुक्त एवं इस न्यायालय सहित माननीय उच्च न्यायालय तक प्रचलित रहा है और माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण तहसीलदार को कार्यवाही करने हेतु प्रत्यावर्तित किया गया है । स्पष्ट है कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के पालन में प्रकरण में सुनवाई तहसीलदार मुरार जिला ग्वालियर द्वारा ही की जाना चाहिये थी, परन्तु तहसीलदार घाटीगॉव जिला ग्वालियर द्वारा वरिष्ठ न्यायालयों के आदेशों के विरूद्ध प्रकरण में सुनवाई की जा रही है, जो कि वैधानिक दृष्टि से उचित कार्यवाही नहीं है । इसके अतिरिक्त अभिलेख से यह भी स्पष्ट कि प्रश्नाधीन भूमि मुरार जिला ग्वालियर क्षेत्र में स्थित है और बैंक भी मुरार में स्थित है, इस दृष्टि से भी प्रकरण में सुनवाई तहसीलदार मुरार द्वारा ही की जाना वैधानिक एवं न्यायिक दृष्टि से उचित है । स्पष्ट है कि तहसीलदार घाटीगॉव द्वारा प्रकरण में सुनवाई करने में जहॉ क्षेत्राधिकार रहित कार्यवाही की जा रही है, वहीं वरिष्ठ न्यायालयों के आदेश की अवहेलना है । इसके अतिरिक्त सामान्यतः प्रकरण किसी दूसरे न्यायालय में बिना विहित प्रकिया अपनाये स्थानान्तरित नहीं किया जाना चाहिये । इस प्रकरण में यह विधिक आवश्यकता है कि तहसीलदार का आदेश दिनांक 29–12–2014 निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार मुरार को सुनवाई हेतु भेजा जाये ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार घाटीगॉव द्वारा पारित आदेश दिनांक 29–12–2014 निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण सुनवाई एवं निराकरण हेतु तहसीलदार मुरार को प्रत्यावर्तित किया जाता है । निगरानी स्वीकार की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर